

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी

मांगीबाई

विपक्षी

वीर

किस्म मुकदमा

752 P 20

पत्रावली संख्या

122

सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>15/10/24 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... 11/11/24 को पेश हो।</p> <p>11/11/24 पत्रावली पेश हुई। मांछ. उभयपक्ष. उप.। मांछ. रेस्पोंडेंट द्वारा जमाना हेतु तक्रार चलाई। मांछ।मी पेशी पर मावली पक्ष को पेश करके। पत्रावली जमाना दिनांक 16/12/24 को पेश हो।</p> <p>16/12/24 वकूलाय बारी/प्रतिवादी उप. जमाना के लिये मौका चाहते हैं। अतः मांछ. रेस्पोंडेंट पर मांछ. अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>13/1/25 वकूलाय बारी/प्रतिवादी उप. जमाना के लिये मौका चाहते हैं। अतः मांछ. रेस्पोंडेंट पर मांछ. अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>11/2/25 वकूलाय बारी/प्रतिवादी उप. जमाना के लिये मौका चाहते हैं। अतः मांछ. रेस्पोंडेंट पर मांछ. अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>20/3/25 वकूलाय बारी/प्रतिवादी उप. जमाना के लिये मौका चाहते हैं। अतः मांछ. रेस्पोंडेंट पर मांछ. अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/4/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	



28/4/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 12/5/25 को पेश हो।

810
2

12/5/25

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वह
के लिखे मौका चाहते है। अतः वह को 12/5/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 31/5/25
में पेश हो।

lm
(SDO) मावली

03/6/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स मय
अपीलान्ट्स अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट्स मय
अपीलान्ट्स को बार-बार आवजे दिलवाई गई।
समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता
अपीलान्ट्स मय अपीलान्ट्स अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता अपीलान्ट्स मय अपीलान्ट्स
अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट्स की अपील अदम
राजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली